अनुमति की शर्तें ।

(i) भवन मानचित्र/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।

(ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।

(iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फ्रंट साइड्स केवल व्यवसायिक टाइप डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 855 दिनांक 12/01/2021

प्रार्थी रैमन्त कुमार सेन S/o श्री बनमल सेन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दुकान संख्या 3-CS-07 चौपासनी

धारा 184 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वीकृति राशि रूपये 6646/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2062/2000, 2001

दिनांक 12/01/2021 को जमा करा दी है ।

व्यवसायिक टाइप डिजाइन अनुसार

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

07/11/2021